[Shri Subramanian Swamy]

ing is going on in Kabul. Even our Embassy is under siege. Our Ambassador is there. Fifteen members of the diplomatic staff are there. A large number of Indian are there in Kabul. I would like the Government to ensure that everybody is safe in Kabul. Also, we want to know the fate of Dr. Najibullah. The Government should make a statement about its reaction to the events in Afghanistan. I want the Government of India to make a statement.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: There is a Babri Masjid in Kabul also... (*Interruptions*)

श्री शंकर दयाल सिंह : मैडम, मैं एक जरूरी बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am taking the Statutory Resolution .... (*Interruptions*) I am not allowing any more discussion ... (*Interruptions*). बैठिए। आप बोल चुके हैं अभी नहीं।

STATUTORY RESOLUTION SEEKING APPROVAL OF PRESIDENT'S PROCLAMATION IN RELATION TO NAGALAND AND MOTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE PROCLAMATION

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Madam, I rise to move.... to move ... (*Interruptions*) ...

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) : मैडम, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि संविधान की धारा 153, 154, 155 के अनुसार राज्यपालों की नियुक्ति हुआ करती है। दिल्ली के राज्यपाल हटाए गए हैं या दिल्ली के राज्यपाल ने इस्तीफा दिया है, यह बात सदन में अभी तक नहीं आ सकी है। ..(व्यवधान).. लेकिन जिस तरह से दिल्ली के राज्यपाल श्री मार्कंडेय सिंह जी को हटाया गया, वह उचित नहीं है और संविधान का उल्लंघन है। इसलिए महोदया मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी को इस समय सदन के सामने एक ब्यान देना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है।

SHRI M. M. JACOB: I rise to move .. (*Interruptions*).

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : मैडम, मैं बहुत पहले का खड़ा हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not permitting you ... (*Interruptions*).

श्री ईश दत्त यादव : मैं केवल दो ही मिनट का समय लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा।

उपसभापति : बैठिए। बाद में देखूंगी।

श्री ईश दत्त यादव : आपने कहा था ...

उपसभापति : अभी नहीं कहा था। आपको कुछ कहा नहीं था, इसलिए बैठिए।

श्री एम० एम० जैकब: यादव जी, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए।

उपसभापति : जैकब साहब, बोलिए।

SHRI M. M. JACOB: Madam, I rise to move ... (*Interruptions*) ...

श्री ईश दत्त यादव : उत्तर प्रदेश की हालत दिनोंदिन खराब होती जा रही है...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please don't disturb Mr. Jacob.... (*Interruptions*) I am not permitting you... (*Interruptions*).

श्री ईश दत्त यादव : उस दृष्टि से...

उपसभापति : देखिए, मेरी अनुमति के बगैर आप बोलेंगे तो यह वह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : वहां लाखों लोग गए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कुम्भ मेला लगा हुआ है। ... (व्यवधान) .. उसके बारे में क्यों नहीं कहते।

श्री ईश दत्त यादव : पंजाब से भी ज्यादा खराब स्थिति उत्तर प्रदेश की हो गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री महोदय सूचनाएं एकत्रित करके

सदन में बयान दें और संविधान की धारा 356 के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करें ।

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल): मैडम, दिल्ली में . . .

उपसभापति : अभी बैठिए । दिल्ली में सब हो गया । . . (**व्यवधान**) . .

SHRI M. M. JACOB: Madam, I rise to move:

"That this House approves the proclamation issues by the President on 2nd April, 1992 under Article 356 of the Constitution in relation to the State of Nagaland."

The Governor of Nagaland in two messages both dated the 27th March, 1992 addressed to the President informed that he had dissolved the Nagaland Legislative Assembly on the advice of the Chief Minister under article 174 of the Constitution and the Chief Minister had been allowed to continue in caretaker capacity until fresh elections . . *(Interruptions)*.

श्री मोहम्मद सलीम : दिल्ली में बच्चे जब मारे जाते हैं तो किसकी जिम्मेदारी है ? होम मिनिस्टर नागालैंड के संबंध में . . . (**व्यवधान**) . . . दिल्ली में जहां केन्द्रीय सरकार का राज चलता है, वहां कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है ? . . (**व्यवधान**) . .

SHRI M. M. JACOB: The Governor of Nagaland also mentioned that the Budget Session of Nagaland Legislative Assembly, which was in Session with effect from 16th March, 1992 came to an end on 26th March, 1992 after passing the Motion of Thanks on the Governor's Address and Demands for Grants for the coming year. . . *(Interruptions)*

श्री मोहम्मद सलीम : सिक्यूरिटी तलब की जाती है । . . .

उपसभापति : ठीक है, मैं मंत्री जी से बात करूंगी ।

SHRI M. M. JACOB: Let him raise this in a proper form. This is not the way. We are prepared to answer only then.

श्री मोहम्मद सलीम : 12 घंटे में 40 गज के अंदर यह दूसरा बम-ब्लास्ट हुआ है । . . . (व्यवधान) . . .

SHRI M. M. JACOB: Madam, I am on a point of order. Are you allowing this to go on record? You have asked me to move the resolution and when I am reading, is it in order that something else should be recorded?

श्री मोहम्मद सलीम : प्राइम मिनिस्टर यहां से गुजरेंगे, इसके लिए 15 मिनट रास्ता बंद रखा गया और दिल्ली में बम-ब्लास्ट हुआ रात को और 2 घंटे के अंदर ही दोबारा जब बस में बम-ब्लास्ट हुआ उसके 12 घंटे के अंदर 40 गज की पूदूरी थे बम-ब्लास्ट हुआ । बच्चे अस्पताल के अंदर बैठे हुए हैं, कोई नहीं जाता । . .

उपसभापति : एक मिनट बैठिए । बैठ जाइए ।

श्री मोहम्मद सलीम : अपने परिवार के लिए चिंता है और गरीब के बच्चे के लिए कोई चिंता नहीं है । . . . (**व्यवधान**) . . . एक बाप का दो औलाद हैं । एक बच्चा आल रेडी पेरालाइज है और उसका बच्चा इस नकारा सरकार के कारण पेरालाइज हो रहा है । . . (**व्यवधान**) . . . यह किसकी जिम्मेदारी है ?

उपसभापति : आप **बैठिए** । I understand that you are agitated. *(Interruptions)* I heard it. Please sit down. . . *(Interruptions)* आप **बैठिये** न, मैं बोल दूंगी । ठीक है, Now you sit down. Let me tell the Government. . . .

DR. JINENDRA KUMAR JAIN (Madhya Pradesh): Madam I asso ciate myself with him.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Your association has been registered, recorded and appreciated.

Now, Home Minister Sahib, what he is agitated about is the child who has been injured in the bomb blast in Delhi. He says that the boy's father has no money to buy medicines and blood for his injured boy and the doctors are going to amputate his leg. The Government should do something about it. That is what he is agitated about....

SHRI M. M. JACOB: It will be taken care of by the Delhi Administration and we will give instructions to the Delhi Administration....

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please do because he is very much agitated. So are all of us.

SHRI M. M. JACOB: That will be attended to.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : मैडम, यू० पी० का.... (**व्यवधान**)...

उपसभापति : अब यू. पी. का नहीं बैठिए।.. (**व्यवधान**).. This is not way. आप इतने सीनियर मेम्बर हैं, इस तरह से डिस्टर्ब न करें। मंत्री जी, बोलिये आप।

I am not permitting anybody to interrupt. It is not going on record. Anybody interrupting the Minister will not go on record.

श्री ईश दत्त यादव : महोदया, आप गृह मंत्री जी से उत्तर प्रदेश के बारे में... (**व्यवधान**)

उपसभापति : कुछ रिकार्ड पर नहीं जायेगा, सिवाय मंत्री जी के।

श्री ईश दत्त यादव : *

*Not recorded.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am very chary. I am anguished. When a Minister is moving a motion, Members should have some courtesy. There are some courtesies which are expected of all of us. When the Minister is standing and reading something I think we should listen to him. I know you are agitated on the issue. So are all of us agitated about it. But there is a proper way of expressing your agitation. This is not the way that you just get up and shout like that. This is not the way at all. I am very upsot. (*Interruptions*) I am not allowing and I will put my foot down and anybody who shouts will never be allowed...

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: How can you say that? You cannot say that you won't allow. You cannot say that.

उपसभापति : आप पार्लियामेंट्री एफेयर्स मिनिस्टर रह चुके हैं। आप तो ऐसी बात मत कीजिए।

श्री ईश दत्त यादव :

THE DEPUTY CHAIRMAN: मुझे इनसे बात कर लेने दीजिये यादव जी, आप तो बैठ जाइये। I don't want to argue. नहीं बैठ जाइये आप। मैंने मंत्री जी को एलाउ कर दिया है।

श्री ईश दत्त यादव*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Malaviyaji, this is not the way. You are a very senior Member. I know you are agitated and I permitted you out of the way. It was not listed. You cannot make such an allegation against the Government or against the Chair. (*Interruptions*) Nothing is going on record. There is a way of raising issues. I permitted you. This is not the way. This is really not the

way. I don't have to teach all of you like children. You all should teach me how to run the House. This is very unfortunate. I am very unhappy.

SHRI M. M. JACOB: The Governor of Nagaland, in two messages both dated 27th March, 1992, addressed to the President, informed that he had dissolved the Nagaland Legislative Assembly on the advice of the Chief Minister under Article 174 of the Constitution and the Chief Minister was allowed to continue in a caretaker capacity until fresh elections. The Governor of Ngaland also mentioned that the Budget Session of Nagaland Legislative Assembly which was in Session with effect from 16th March, 1992 came to an end on 26th March, 1992 after passing the Motion of Thanks to the Governor's Address and the Demands for Grants for the coming year. The majority of the present Chief Minister was proved on the floor of the Assembly. The ruling Nagaland People's Council Party also got its candidate elected to the Rajya Sabha.

The Governor also informed that resort to courts had been frequent during the life of the Assembly. The courts had yet to resolve the case of disqualification of 15 MLAs and 10 MLAs were involved in yet another case in Guwahati High Court. The Governor further reported that the Chief Minister had favoured a fresh mandate from the people because of various pressures to which he had been subjected and felt that purposeful administration could not be carried on with Ministers and MLAs pressurising for plum posts. The Governor also mentioned that in the process the law and order had been neglected. The Union Government considered the Report of the Governor and the overall situation prevailing in Nagaland. Clearly the party position in the State was fluid and law and order had been neglected

The very grounds relied upon by the Governor to dissolve the Assembly showed that it was not possible to carry on the administration of the State in accordance with the provisions of the Constitution for the normal life of the Assembly. Accordingly, it was decided to recommend to the President of India to issue a Proclamation under article 350 of the Constitution in relation to the State of Nagaland. The President was pleased to issue the said Proclamation on the 2nd April, 1992. In view of the circumstances which I have just explained, I commend, Madam, that the Prclamation issued on the 2nd April, 1992 under article 356 of the Constitution in relation to the State of Nagaland be approved by this august House. Thank you.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

"यह सभा राष्ट्रपति से सिफारिश करती है उनके द्वारा नागालैंड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 2 अप्रैल, 1991 को जारी की गई उद्घोषणा का प्रतिसंहरण किया जाए।"

महोदया, मैंने काफी गौर से गृह मंत्री का वक्तव्य सुना है। उसमें एक बात उन्होंने बहुत ही होशियारी से लांघ दी है उसका उल्लेख नहीं किया है। यहां पर मुझे स्मरण है 3 मार्च के दिन यहां पर गृह मंत्री चव्हाण साहब ने यह कहा था कि यह मालूम नहीं है कि वहां की सरकार के पास बहुमत है या नहीं है। गृह मंत्री महोदय जैकब साहब ने अपने भाषण में यह नहीं बताया कि यहां पर उसकी पुष्टि कब हुई और कैसे हुई कि वहां पर उस समय जब कोमिजो ने यह सिफारिश की कि सदन भंग कर दिया जाए, उस समय उनका बहुमत था या नहीं था। जो कुछ मैंने सुना है उससे लगता यह है कि अब सरकार यह स्वीकार करती है कि बहुमत था क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में यह कहा कि गवर्नर की रिपोर्ट यह थी कि उनका बजट पास हो गया है, राज्य सभा के चुनाव हो गये, जिससे सिद्ध हो गया था कि बहुमत था। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या गृह मंत्री का सदन में

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

दिया गया वक्तव्य कि हमें पता नहीं है कि उनका बहुमत था या नहीं था, उस समय सरकार की जानकारी में क्यों नहीं था और अब वह जानकारी कैसे हो गई ?

इसके साथ ही उन्होंने यह भी उल्लेख नहीं किया कि जब सदन भंग कर दिया गया है तो उन्होंने, आग्रह किया कि उनकी सरकार, वोमिजो की सरकार बनी रहे जब तक कि अगली कोई व्यवस्था न हो जाए । यह एक महत्वपूर्ण बिन्दू है। सामान्य स्थिति यह है कि जब कोई बहुमत में सरकार रहकर सिफारिश करती है तो सामान्यत: उसकी सिफारिश को स्वीकार करके गवर्नर ऐसेंबली को भंग करता है और सरकार को अस्थाई रूप से कार्य करने दिया जाता है । गृह मंत्री महोदय इस बात को छिपा गए कि जब उस सरकार ने भी ऐसा ही प्रबंध किया था तो उसको भंग क्यों किया ? क्या इस पद्धति को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था ? इससे यह बात स्पष्ट है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है । क्या यह सच नहीं है कि 22 मार्च के दिन यहां से आपके विदेश मंत्री श्री फ्लेरियो वहां गए कांग्रेस के प्रतिनिधि के नाते से । क्या इसी प्रकार से यह भी सच नहीं है कि और भी एक मंत्री जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूं वहां गए थे इन सब बातों का धंधा करने के लिये। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं मजबूर होकर कह रहा हूं कि केन्द्र सरकार की नीयत साफ नहीं थी । पहले उन्होंने यह कोशिश की कि किसी न किसी तरह से जोड़ तोड़ करके कांग्रेस की सरकार वहां बन जाए । लेकिन जब उनकी बात को गवर्नर ने नहीं माना और सरकार को भंग कर दिया तो यहां पर दावा किया गया कि बहुमत था या नहीं । इसका मतलब यह है कि गवर्नर ने जो कार्य नहीं किया उसको ये छिपाकर चले गए । क्या यह भी सच है—मैं गवर्नर पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन स्थिति का स्पष्टीकरण चाह रहा हूं कि जो कुछ केन्द्र का इशारा होता है उस पर गवर्नर कार्य करते हैं । मुझे संदेह है कि यह बात उस गवर्नर ने केन्द्र सरकार से पूछी नहीं । उन्होंने यह रिपोर्ट दी । इस बात से केन्द्र सरकार की कलई खुलती है कि उनकी जो पहले योजना थी कि किसी प्रकार से जोड़-तोड़ करके सरकार बना ली जाए । लेकिन इसमें विफलता के कारण उनको यह लगा कि यदि चुनाव वहां की सरकार के अधीन किए जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी अपनी बात सिद्ध करने के लिए अपनी मशीनरी का उपयोग नहीं कर सकेगी । इसीलिए केन्द्र सरकार ने उस रिपोर्ट को रद्द करके सीधे-सीधे राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया । तो मेरा आग्रह यह है कि इन सब बातों का स्पष्टीकरण करें और मैं सदन से यह चाहूंगा कि वह मेरी बात का समर्थन करे जिससे कि आगे इस प्रकार का दुरुपयोग न हो । कम से कम यह सदन जागरूक रहे कि चाहे वह सत्ताधारी दल हो या विरोधी दल हो, वह इस बात पर सहमत हो कि वास्तव में निष्पक्ष भाव से गवर्नर को काम करना चाहिए ।

एक बिन्दु और पूछकर मैं समाप्त करूंगा । मुझे पता नहीं यह बात कहां तक सच है या बलत है कि समाचार पत्रों में यह भी छपा है कि वहां के गवर्नर टॉमस के विषय में कि उनका संबंध वहां के उग्रवादियों से, वहां के जो गुट हैं उनसे था । यदि यह गुट का आरोप लगाकर गवर्नर को डिसमिस किया गया है तो यह संदेह पैदा होता है कि केवल यह आरोप लगाकर क्यों डिसमिस किया गया है और यदि डिसमिस किया गया है अन्य कारणों से तो उसको भी बताया जाए । लेकिन जो टाइमिंग है, जो समय है कि उधर गवर्नर सरकार को भंग करता है, उस सरकार को अस्थाई रूप से काम करने की बात को रद्द कर देता है तो आरोप लगाया जाता है । मैं जानना चाहूंगा कि सच्चाई क्या है ? यह भी बताएं कि किस कारण से गवर्नर को अपदस्थ किया गया है क्योंकि इसमें बहुत से संदेह छिपे हैं । उन बातों का सन्देह हटाने के लिए उनका स्पष्टीकरण करें । सदन से मेरा अनुरोध है कि मेरे प्रस्ताव का समर्थन करे और इस बात को दिखाए कि सदन गुटबंदी से, दलबंदी से दूर है । धन्यवाद ।

The questions were proposed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri S. S. Ahluwalia.

AN HON. MEMBER: What is the time for this?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Since no Advisory Committee meeting took place yesterday, no time is allotted. But we will try to accommodate as many people as would like to speak on it, with as less time as they take. (*Interruptions*). Mr. Vizol's name is there.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : महोदया, मेरा भी नाम रेजलूशन में है ।

उपसभापति : रेजलूशन पर एक ही बोलता है । आपका नाम 8वां है । श्री अहलुवालिया ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार) : उपसभापति महोदय, मैं नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने के स्टैच्यूटरी रेजलूशन जो गृह मंत्री महोदय ने मूव किया है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और नागालैंड की परिस्थिति पर अफसोस जाहिर करते हुए कहता हूं कि 1964 में जिस राज्य को स्टेटहुड मिला और जहां 1964 से लेकर 1992 तक अगर हिसाब लगाया जाए तो 5वां या ज्यादा से ज्यादा 6वां मुख्य मंत्री होना चाहिए था । पर दुर्भाग्य की बात है कि पिछले नागालैंड की सरकार के जो मुख्य मंत्री थे वह 11 वें मुख्य मंत्री थे । कभी-कभी तो नागालैंड की सरकार के बारे में जब हम पढ़ते हैं या जानते हैं या अपनी आंखों से देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि वहां कई बार मुख्य मंत्री कुछ दिनों के लिए ही बनते हैं । वास्तव में जिस राज्य से मैं आता हूं बिहार से वहां भी मुख्यमंत्रियों की संख्या कम नहीं है पर नागालैंड जैसे छोटे से राज्य में मुख्यमंत्रियों की संख्या ज्यादा बढ़ जाने के कारण वहां की उन्नति, वहां की प्रोसपेरिटी पर बहुत असर पड़ता है ।

1989 में चुनाव हुए थे और उस चुनाव में मैं अपनी पार्टी की तरफ से वहां गया था । हमारे इस सदन के डा० रत्नाकर पाण्डेय, सुरेश पचौरी, रजनी रंजन साहू और जैकब साहब भी थे । हम लोगों ने नागालैंड को उस वक्त बड़े करीब से और बड़ी गहराई से देखा है । वहां की तकलीफों और प्रोब्लम्स को समझने की कोशिश की है । शायद केंद्र की राजनीति के साथ-साथ नागालैंड का भाग्य भी जुड़ा हुआ है । 1989 में जब केंद्र में सरकार बदली तो केंद्रीय सरकार ने लोगों की नजर उधर ही गई । सुबोध कांत सहाय जो उस समय गृह मंत्री थे और जार्ज फर्नांडीज जो उस वक्त रेल मंत्री थे अचानक बहुत ही एक्टिव हो गए और उन्होंने अपने पुराने तालुकातों को इधर-उधर से ढूंढ कर निकाला और तोड़-फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी । वहां के नए गवर्नर साहब के जाने के कुछ दिन बाद ही पार्टी में स्प्लिट कराने की कोशिश की गई । ऐण्टी डिफेक्शन ला को ध्यान से पढ़ा जाए और इसके बारे में अगर कोई इतिहास लिखने बैठे तो उसका सदुपयोग और दुरुपयोग, दोनों तरह का उपयोग सबसे ज्यादा नार्थ-ईस्ट में हुआ है और नार्थ-ईस्ट में भी सबसे ज्यादा नागालैंड में हुआ है । सबसे पहले एंटी डिफैक्शन ला के दुरुपयोग की शुरूआत अगर हुई है तो वह नागालैंड से ही हुई है । उसके बाद लोगों ने अपनी कलम की ताकत का दुरुपयोग इस ला के तहत करना शुरू किया । उसकी शुरुआत हुई के.एल. चिसी स जो 15 मई, 1990 को वहां मुख्य मंत्री बने और 18 जून, 1990 तक रहे । एक महीने के लिए रहे । उसके बाद वामुजो स्थापित हुए मुख्य मंत्री के रूप में । उन्होंने वहां की 60 मैम्बरों की असेम्बली में करीब 15 मैम्बरों को एक्सपैल करके रखा हुआ था यानी 25 परसेंट मैम्बरों को निकाल दिया था और 75 परसेंट मैम्बरशिप पर यह असेम्बली चल रही थी । उस समय भी रोज दिन-दूनी रात चौगुनी मैनुपुलेशन चल रही थी । दुर्भाग्य की बात यह है कि जो गवर्नर साहब आज बड़े जागृत होकर बडी-बडी बातें कर रहे हैं, उनके बयान हम पढ़ रहे हैं--वैसे राज्यपाल एक ऐसा ओहदा है कि उसके बारे में कोई शंका, संदेह नहीं करनी चाहिए । पर दुर्भाग्य की बात है कि कुछ चीजें आंखों के सामने से जब गुजरती हैं तो महसूस होता है और अगर इस बारे में कुछ न कहा जाए तो हम अपनी जनता के प्रति, अपने देश के प्रति अन्याय करेंगे ।

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

सुप्रीम कोर्ट ने 15 लोगों के बारे में 9 दिसम्बर, 91 को एक जजमैन्ट दिया। गोहाटी हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एक केस लगा कि उन 15 के 15 लोगों को जिनको एक्सपेल किया गया असेम्बली से उनके ऊपर से स्टे आर्डर विद्ड्रा कर लिया जाए और उनको कहा गया कि उनकी मैम्बरशिप रिस्टोर कर दी जाए। और वह आर्डर गोहाटी हाई कोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव ने जाकर वहां के सेक्रेटरी, लेजिसलेटिव ऐसेम्बली और वहां के स्पीकर के आफिस में हैन्डओवर कर दिया। उसके साथ-साथ वहां के मंत्री महोदय श्री होकिसे सेमा जो पब्लिक हैल्थ और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मंत्री थे, उन्होंने 14 दिसम्बर को अपने मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखा और उस पत्र में बड़े साफ लफ्जों में लिखा—

"My dear Chief Minister,

You are well aware of the political crisis that has developed after the verdict of the Guwahati High Court staying the order of Hon. Speaker who had disqualified M.L.As. Special Leave Petition was preferred to the Supreme Court for vacation of the said stay order which they have not entertained. Thus, in the eyes of the entire public, our Government is a minority Government. It is high-time now to prove ourselves by stepping down honourably that we do not hanger on in the chair or power but dedicate ourselves for the welfare of our people. Our party has run the affairs of the Government for the last one year and I should say with majority. Now with the verdict of the court, we are in minority and I feel we should pave the way for the majority party to run the affairs of the government. Our motto is to serve the people and that we can continue to do even being in opposition as we did before our party took over the reins of the government. I would, therefore, request you to kindly tender your resignation with the Council of Ministers on or before 16th December otherwise I along with few of my colleagues will be compelled to resign to uphold the democratic values and norms as well as the prestige of the NPC party.

With kind regards,

Hokishe Sema"

उपसभापति महोदया, यह उन्हीं की वामूजो सरकार के मंत्री का अपने मुख्य मंत्री के नाम पत्र है और उनको याद दिलाता है कि हम किस के प्रति कमिटेड हैं। इस मंत्री के पत्र का जवाब उसके मुख्य मंत्री ने नहीं दिया। यहां प्रयोग राज्यपाल की कुर्सी का किया जाता है। इस मंत्री के पत्र के जवाब को राज्यपाल के द्वारा दिलवाया जाता है और उसी दिन 14 तारीख को जब खतरा पैदा होता है कि 16 दिसम्बर के अन्दर मुख्य मंत्री अपना इस्तीफा नहीं देते हैं तो होकिसे सेमा के साथ और भी कुछ लोग, मंत्री और एम.एल.एड, एम.पी. सी. से रिजाइन कर देंगे। इस डर को महसूस करते हुए उन्हें सेक्यूरिटी या शेल्टर की जरूरत पड़ती है या सेक्यूरिटी अम्ब्रेला की जरूरत पड़ती है। श्री वामूजो राज्यपाल के पास जाते हैं। राज्यपाल जो कोहिमा आल इंडिया रेडियो से क्या बयान देते हैं वह जरा सुनिए। इसमें आप लॉ एंड आर्डर की बात करते हैं, लेकिन लॉ एंड आर्डर की प्रोबलम तो उसी दिन शुरू हो गई थी। राज्यपाल महोदय कहते हैं कि —

"The Governor of Nagaland, Dr. M. M. Thomas has urged upon the people to maintain claim in view of the present political situation in the State. In a Press communique issued by Raj Bhavan today, he said although certain developments have taken place in the politico-legal battel on the question of disqualification of 15 M.L.As of Nagaland, the Supreme Court yesterday set the 17th of next month as deadline for the Guwahati High Court to decide the matter. Dr. Thomas appealed

to all concerned in the State to await the final verdict of the court in this matter till the middle of January. The Goevrnor pointed out that since a time-table has been framed by the highest court of the land for disposing off this case no action is called for by him at this stage....."

1.00 P.M.

M "He also indicated that a full picture will be available regarding this matter only by the middle of next month and assured that all possible steps will be taken by him at that juncture."

महोदया, एक सरकार के अंदर गडबडी हो रही हो, राजनैतिक गड़बडी और उसके रेवेन्यू के लिए राज्यपाल के पद का दुरुपयोग किया जा रहा हो, यह सोचने की बात है । जिस तरह से इन्होंने वहां पर सरकारें बनाई या बिगाडी, यह सब को मालूम हो है । अभी जब इन चिट्ठियों के बाद में पहुंचते हैं महोदय, तो इनके ध्यान मे बात तब आती है, जब वहां गवर्नर का रूल लगाने की बात करते हैं, डिजाल्व करने की बात करते हैं, इससे पहले कभी सोचा नहीं । महोदया, नागालेंड में इनर लाइन परमिट की जरूरत बहुत है, वहां पर कुछ एरियाज रेस्ट्रेक्टड एरिया है, जहां इनर लाइन परमिट के बगैर असम का आदमी भी नहीं घुस सकता है । उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और दूसरी जगहों के आदमियों की बात छोडिए, असम के आदमी को भी उस इलाके में घुसने के लिए इनर लाइन परमिट लेना पडता है । पर यह दुर्भाग्य की बात है कि वहां पर दो फारेनर्स, यू.के. के डेविड वार्ड और स्टीफन हैलमैन, जो नागालेंड में घूम रहे थे, फेक डिस्ट्रिक्ट के इलाके में उनको पकडा गया । उनके पास कोई इनर लाइन परमिट था या नहीं था ? अगर था तो फोरेन नेशनल्स को किसने इनर लाइन परमिट दिया ? इसके दिए जाने के बहुत सारे कारण हैं । क्योंकि वह इलाका बर्मा के बार्डर पर पडता है इसलिए उस बर्मा के बार्डर पर जाने के लिए हमारे खुद के बहुत सारे सेक्योरिटी प्रीकाशस हैं । ये फारेन नेशनल्स वहां पर जाकर क्या कर रहे थे ? इसकी खबर गवर्नर साहब को नहीं लगी या इस पर कार्यवाही करने के लिए उन्होंने सरकार को फटकार क्यों नहीं लगाई ? और अचानक जो रिपोर्ट गवर्नर साहब वहां पर भेजते भी हैं, दिल्ली भेजते हैं, प्राइम मिनिस्टर को, यूनियन होम मिनिस्टर को, होम सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी आफ प्रेसीडेंट को, सब को लिखकर भेजते हैं महोदय कि :—

"Following message may kindly be placed before His Excellency the President of India. Quote. Further to my two communications of even number dated 27th March, I am furnishing some more details related to yesterday's developments. As permitted by the President of India, I had already reached Dimapur to catch the flight for Calcutta scheduled for 1030 hours.

But delayed on 27th. Even the boarding pass already been taken. My office informed me at 1045 hours that a letter has been received from the Chief Minister at 1030 hours of a very urgent nature which was communicated to me over telephone. I cancelled my programme to Calcutta and returned to Kohima. Full text of the letter received from the Chief Minister at 1030 hours is produced below. Quote. You are aware that due to frequent defection of Members of Legislative Assembly, there have been several changes of Ministry. I am now running the third Ministry within a span of three years.

It is still found that there is no stability in the mind of Members. The Cabinet have, therefore come to the conclusion that the Assembly be dissolved and a caretaker Government be allowed till such time when a fresh mandate of the people is called for.

I therefore, recommend dissolution of the House and a

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह आहलुवालिया]

caretaker Government be invited till fresh mandate of the people is called for. Unquote. My reply to the Chief Minister at 1320 hours is reproduced as follows. Quote. I have received your letter No. CMN/3/GM/92 dated 27th March, 1992, advising me to dissolve the Nagaland Legislative Assembly. I have accepted your advice since you have proved majority in the Assembly yesterday. Accordingly, I am dissolving the Assembly with immediate effect. You are requested to continue as caretaker Government until further orders. Unquote.

I have been told by Press and Radio reports about the withdrawal of support by a group of Ministers to the Vamuzo Government. Till now, no communication either verbally or in writing has been received by me."

उपसभापति महोदया, बड़े आश्चर्य की बात है कि 16 मार्च से ले कर 26 मार्च तक बजट सेशन चल रहा था और उस बजट सेशन के बीच इनको पूर्ण बहुमत हासिल था जिसको यह अपनी चिट्ठी के पहले पेराग्राफ में एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि इन्होंने जो अपना भाषण दिया था, राज्यपाल का भाषण हुआ था, उस भाषण को भी उसी असेम्बली ने अप्रूवल दी थी, इनकी पार्टी एन०पी०सी० ने अपनी मोहर उस पर लगाई थी, नागालैंड विधानसभा ने मोहर लगाई थी अर्थात् अप्रूवल दी गई थी। उसके बाद रातों-रात क्या घटना घटी कि वह मजबूर हुं अपने सेकेंड पेराग्राफ में लिखने को कि मेरे को रेडियो, टी०वी० और प्रेस वालों ने पूछा था। आखिर रेडियो के पास और प्रेस के पास यह खबरें किस की थीं? मैं साफ साफ जानना चाहता हूं कि क्या वामूजो को 26 तारीख के पहले अपने 7 सहयोगी मंत्रियों का इस्तीफा मिल चुका था। जिस तरह से टोकीहोशिमा ने धमकी देते हुए पत्र लिखा था कि अगर 16 दिसम्बर, के पहले आप फैसला नहीं करते हैं तो हम अपने 6–7 सदस्यों के साथ आपकी पार्टी छोड़ देंगे। क्या ऐसे सात सहयोगी मंत्रियों ने भी उन्हें इस्तीफा दिया था और जिसकी खबर राज्यपाल को थी और राज्यपाल सदन बंद होने के ठीक दूसरे दिन वहां से रवाना हो गये कि कहीं उनकी उपस्थिति में कोई भी दल आकर उनसे डायरेक्टली मिल न ले अपना इस्तीफा डायरेक्टली उनके पास सबमिट न करे। तो वह इसलिए रवाना हो गये थे और उसी वक्त हड़बड़ी दिखाई गई कि एक मीटिंग कर ली गई, केबीनेट का डिसिज़न कर के रेजोल्यूशन कर के रेजोल्यूशन बना कर के गवर्नर के पास पेश किया गया और उसको टेलीफोनिकली कम्युनिकेट किया गया। महोदया, साढ़े दस बजे फ्लाइट पकड़ने के लिए दीमापुर पहुंचे और कोहिमा से वहां आने में ढाई घंटे लगते हैं और उस ढाई घंटे के पहले कब सब ने बैठ कर कौंसिल ने डिसाइड किया? क्या यह 27 तारीख का निर्णय था या 26 तारीख का निर्णय था जो 27 तारीख को कम्युनिकेट किया गया? यह बहुत गम्भीर सवाल है। हम लोगों ने तो सुना है कि कहीं कहीं शहर बिकते हैं। माफिया ग्रुप शहर बेचता है कि इस शहर में हमारे माफिया का राज है। कहीं कहीं इलाके बिकते हैं। चम्बल डाकू क्षेत्र में इलाके बिकते हैं। परन्तु महोदया, मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि अब तो राज्य भी बिकने लगे हैं और राज्य भी बेचे जा रहे हैं राज्यपालों और मुख्य मंत्रियों के द्वारा। उसकी लीज़ भी हाइयेस्ट सीट के द्वारा दी जाती है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय है। इस दुर्भाग्यपूर्ण समय में इन चीजों पर विचार कर के यह सदन कोई रास्ता यदि नहीं निकालेगा तो एक दिन ऐसा आएगा—अभी तो विपक्ष के लोग यह कह रहे थे कि राज्यपाल को हटा कर अनर्थ किया है, वी०पी० सिंह की सरकार के आने के साथ करीब करीब भारत के जितने भी राज्यपाल थे सब बदल दिये गये थे। आज हमें 10 महीने से ज्यादा हो गये हैं, आज तो मजबूर हो कर जब ऐसे खिलवाड़ में राज्यपाल पद का दुरुपयोग हो रहा हो या उस कुर्सी का दुरुपयोग हो रहा हो तब हमें ऐसा बोलने पर मजबूर होना

पड़ रहा है । गौतम जी, कानूनी बहस में संविधान को कोट कर के बहुत कुछ कहियेगा लेकिन वास्तविकता पर आइये । मैंने जशो सदन के सामने पत्र पढ़ कर सुनाये हैं, क्या इससे साफ जाहिर नहीं होता है कि अगर सरकार टूटनी ही थी, अगर प्रेजीडेंट रूल लगना ही था या डिज़ाल्व करने की बात अगर होनी ही थी तो यह 14 दिसम्बर, 1990 को ही हो जाती । उस समय ऐसा क्यों नहीं हुआ और क्यों चलता रहा इसी तरह का मेनिपुलेशन ?

महोदया, यह तो प्रेजीडेंट रूल को वहां लागू करने का एक स्टेट्यूटरी रिजोल्यूशन है किंतु यह हमारे मन में, मस्तिस्क में बहुत सारे सवाल उठाता है कि राज्यों में राज्य सरकारों और राज्यपालों के क्या क्या अधिकार हैं और कैसे वह चलना चाहिए और उनकी क्या क्या नीतियां हैं, क्या क्या उनके कर्तव्य हैं । उसको मद्देनजर रखकर चलना चाहिए । मैं समझता हूं कि इस स्टेटयूटरी रिजोल्यूशन का समर्थन करते हुए मैं इस सदन के सब सदस्यों से मांग भी करूंगा और यह मेरी ख्वाहिश है कि इसमें सुधार लाने के लिये वे अपने सुझाव भी जरूर रखेंगे । धन्यवाद ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Ram Jethmalani... Not there. Shrimati Sarala Maheshwari.

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभापति महोदया, मैं माननीय गृह मंत्री जी द्वारा रखे गये परिनियत संकल्प का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं । माननीय उपसभापति महोदया, नागालैंड में जिस तरह से राष्ट्रपति शासन थोपा गया... (**व्यवधान**)

THE DEPUTY CHAIRMAN: He will speak later.

SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR (Maharashtra): You have called his name. When a Member is absent...

THE DEPUTY CHAIRMAN: He said he would speak later. He told Malaviayaji.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Mr. Jethmalani told me... (Interruptions).

AN HON. MEMBER: What time?

THE DEPUTY CHAIRMAN: After lunch. Now everybody will speak after lunch only.

बोलिए, सरला जी ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : उपसभापति महोदया, नागालैंड पर जिस तरह राष्ट्रपति शासन थोपा गया है यह हमारे देश के जनतंत्र पर, हमारे देश के संविधान पर एक शर्मनाक हमला है । दो अप्रैल को जब हमारी यह संसद चल रही थी ठीक उसी समय षडयंत्रकारियों की तरह साजिश करके उत्तर पूर्व की पहाड़ियों पर इस बदनाम 356 धारा का इस्तेमाल किया गया... (**व्यवधान**)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : संविधान की धारा भी बदनाम है ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : इस धारा को बदनाम कर दिया है । कांग्रेस ने यह साबित कर दिया है कि वह शासन करने के अपने सर्वाधिकारवादी तरीके से बाज नहीं आ सकती और निरंकुश सत्ता का भोग और उस भोग के सुख का संवरण न करना शायद कांग्रेस के बूते के बाहर है । इसीलिए इस शर्मनाक कदम को उठाया गया मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि उनके इस कदम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि कांग्रेस और स्वेच्छाचारी शासन एक दूसरे के पर्याय बन गये हैं । हमारे देश के केन्द्र-राज्य संबंधों को लेकर बढ़ रहे तनाव तथा हमारे संघीय ढांचे पर हो रहे प्रहारों के चलते हुए उपसभापति महोदया, क्या यह जरूरी नहीं था कि नागालैंड में धारा 356 का इस्तेमाल करने से पहले इसके गम्भीर

[श्रीमती सरला महेश्वरी]

परिणामों के बारे में राजनीति से ऊपर उठकर सोचा जाता । उपसभापति महोदया हमारे संविधान में जब धारा 356 शामिल की गयी तो उसी समय संविधान सभा में डा० अम्बेडकर ने कहा था, मैं उनको उद्तध् करना चाहूंगी, उन्होंने कहा था—

> मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की धाराएं कभी भी प्रयोग में न लाई जाएं । यह संविधान की पोथियों में मृत अक्षरों की भांति पड़ी रहे ।

लेकिन हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि हमारे संविधान निर्माताओं की जो आशाएं थी जो आकांक्षाएं थीं उनके ठीक-विपरीत हमारी कांग्रेस पार्टी ने आचरण किया । उसने संविधान के ऐसे तमाम प्रावधानों का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जो हमारे जनतंत्र को विकृत करते थे, हमारे जनतंत्र पर कुठाराघात करते थे । आज हालत यह है कि धारा 356 की पहचान हमारे संघीय ढांचे पर सबसे अधिक प्रहार करने वाली, हमारे जनतंत्र की जड़ों को काटने वाली कुल्हाड़ी के रूप में बन चुकी है ।

उपसभापति जी, आज जब इस तानाशाही हथियार का इस्तेमाल नागालैण्ड के संदर्भ में किया गया, तब हमारा दिल और भी दुख और शोक से भर जाता है ।

आज देश में कोने-कोने में जिस तरह से अलगाववादी और विभाजनकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं, तो उन्हें देखते हुए निश्चित रूप में मन में यह सवाल उठता है कि यदि हमारे देश की एकता और अखंडता के प्रति हमारे कांग्रेस दल में जरा भी संवेदनशीलता होती, तो इस कदम को उठाने से पहले क्या उन्हें एक बार नहीं, एक सौ बार सोचने की जरूरत थी ।

मैं यह कहना चाहूंगी कि आखिर हमारे पास अलगाववादी और विभाजनकारी ताकतों से लड़ने का कौनसा तरीका है । आज हम अपने अनुभव से जानते हैं कि हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था का लचीलापन और हमारी संवैधानिक मर्यादाओं का पालन ही वह एकमात्र तरीका हो सकता है, जिसके द्वारा हम इन अलगाववादी और पृथकतावादी ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं ।

लेकिन अगर आप इस लचीलेपन को खत्म कर देंगे, जोकि हमारे संविधान की बुनियादी आत्मा है, भारत देश विभिन्नता वाला देश है, यह बुनियादी जरूरत है । उस लचीलेपन को खत्म करके, आप उसको रस्सी की तरह तानते जायेंगे, तो उपसभापति जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे देश की एकता और अखंडता की यह रस्सी ऐंठी हुई रस्सी की तरह कभी भी टूट जायेगी और फिर इसकी रक्षा करने वाल कोई भी नहीं रहेगा ।

जहां तक नागालैंड का सवाल है, नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने के पूरे घटनाक्रम पर अगर आप गौर करेंगे, तो देखेंगे कि नागालैंड में जिस तरह राष्ट्रपति शासन लागू किया गया—कब लागू किया गया । नागालैंड की विधान सभा का सत्र 26 तारीख को चल रहा था और 26 तारीख के बाद वहां के राज्यपाल ने यह कदम उठाया और उस राज्यपाल ने उठाया, जिस राज्यपाल का पद हमारे देश के संविधान में गरिमामय पद है । राज्यपाल को हम एक पवित्र संस्था के रूप में मानते हैं । उस राज्यपाल के कदम के विरुद्ध इन्होंने एक दूसरा कदम उठाया ।

तो जाहिर है कि आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी कि उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबर होना पड़ा : राज्यपाल के पद का जिस तरह अतीत में दुरुपयोग किया गया, उसी के कारण हमारे देश के जनतांत्रिक आंदोलन ने यह मांग की थी और पुरजोर शब्दों में यह आवाज उठाई थी कि इस राज्यपाल के पद को ही खत्म कर दिया जाना चाहिए । हमारे जनतांत्रिक आंदोलन ने यह भी मांग की थी कि जनतांत्रिक ढंग से चुनी

हुई राज्य सरकारों और केंद्र द्वारा मनोनीत एक अधिकारी के साथ कोई तालमेल नहीं बैठता है ।

उपसभापति जी, इसीलिए इस संस्था में अनेक सुधारों की जरूरत को महसूस किया गया था । अंग्रेजों के जमाने में गवर्नर केंद्र के एजेंट हुआ करते थे और अपने अंग्रेज आकाओं की जी-हजूरी अदब बजा करके किया करते थे । आजादी के बाद कांग्रेस सरकार के आने के बाद विभिन्न राज्यों में जब विभिन्न पार्टियों की सरकारें आई, लेकिन वह औपनिवेशिक तौर-तरीका बदला नहीं । केंद्र और राज्यपाल का संबंध मालिक और गुलाम का संबंध बन कर रह गया । राज्यपाल को केंद्र के इशारे पर दिन को रात और रात को दिन कहने पर मजबूर होना पड़ा और यहां तक कि कुछ राज्यपाल भी उसी औपनिवेशिक परम्परा के हिस्से भर बन कर रह गये और उन्होंने अपना स्वतंत्र विवेक या स्वतंत्र पहचान बनाने की कभी कोशिश नहीं की ।

इसीलिए जब नागालड के मामले में नागालैंड के राज्यपाल ने अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया, तो हमारे केंद्र के आकाओं की आंख की किरकरी वह बन गया हमारी केंद्र सरकार को रास नहीं आया । कई परंपराओं की दुहाई दी गई कि ऐसी परंपरा नहीं है । उपसभापति महोदया, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या राज्यपाल अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करता है और संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए वह कोई गलती नहीं करता तो इसके लिए आप कौन सी परंपरा की दुहाई मांगते हैं ? जब हमारे गृह मंत्री महोदय ने भी कहा कि नहीं, उन्होंने ठीक ही अपने संवैधानिक दायित्व का पालन किया है, तो फिर क्या कारण था कि केंद्र सरकार को यह कदम उठाना पड़ा ? उपसभापति महोदया, 26 मार्च को नागालैंड विधान सभा का अधिवेशन चल रहा था... (समय की घंटी) ..थोड़ा सा समय और है ?

उपसभापति : थोड़ा और है ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : और यह अधिवेशन 9 मार्च से शुरू हुआ था । इसमें नागालैंड का बजट पास हुआ और इसके अलावा नागालैंड से सत्तारूढ पार्टी का सदस्य राज्य सभा में भी आया । हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से काफी तिकडमें की गई । कई मंत्री वहां गए । अखबारों में यह भी खबरे हैं कि विधायकों को धमकायां गया । लेकिन जब इनकी गोटी एक भी नहीं बैठी तो शायद शतरंज की दूसरी चाल खेली गई । इसके बाद 27 मार्च को वहां के मुख्य मंत्री वामुजों ने राज्यपाल को विधान सभा भंग करने की सिफारिश की । इस सिफारिश के लिए उन्होंने कई वाजिब कारण बताए । नागालैंड के राज्यपाल ने 27 मार्च को राष्ट्रपति के नाम एक संदेश भेजा था और उसमें इस संदेश में उन्होंने मुख्य मंत्री द्वारा लिखे गए अपने पत्र का वृतांत भी भेजा था और में उस पत्र को उद्धृत भी करना चाहूंगी हालांकि उसी पत्र को अहलुवालिया जी ने भी उद्धृत किया है और उसका अर्थ निकाला है और मैं अपने विवेक से इसका अर्थ निकालना चाहती हूं । इस पत्र को मैं एक बार फिर उद्धृत करना चाहती हूं । इस पत्र में मुख्य मंत्री ने कहा था :

> "आपको जानकारी है कि विधान सभा के सदस्यों द्वारा बार-बार दल-बदल के परिणामस्वरूप मंत्रालय में अनेक परिवर्तन आए । मैं पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान तीसरे मंत्रिमंडल का नेतृत्व कर रहा हूं । अभी भी यह पाया गया है कि सदस्यों के मन में स्थिरता नहीं है । अतः मंत्रिमंडल इस निर्णय पर पहुंचा है कि विधान सभा को भंग कर दिया जाए तथा पुनः चुनाव होने तक एक काम चलाऊ सरकार को काम करने दिया जाए ।"

उपसभापति महोदय, यह है नागालैंड की स्थिति जिसमें राज्यपाल को यह निर्णय लेना पड़ा । चूंकि वहां के मुख्य मंत्री

[श्रीमती सरला मीहैश्वरी]

ने राज्यपाल से सिफारिश की थी और राज्यपाल को यह पूरा अधिकार था हालांकि यह सच है कि राज्यपाल संविधान की धारा 174(2) के अंतर्गत विधान सभा को भंग नहीं कर सकता, लेकिन इसके साथ ही अगर एक राज्य सरकार सिफारिश करती है तो एक राज्यपाल उस राज्य सरकार की सिफारिश को मानने के लिए बाध्य है। यह उसका संवैधानिक दायित्व है और मैं समझती हूं कि नागालैंड के राज्यपाल ने अपने इस संवैधानिक दायित्व का पालन करके कोई गलती नहीं की। अब हमारे अहलुवालिया जी शायद हिसाब लगा रहे हैं कोहिमा से नागालैंड पहुंचे या कहां से कहां पहुंचे। कब निर्णय लिया गया। लेकिन उन्होंने अपने पत्र में बिल्कुल साफ कर दिया है कि 27 तारीख को उनको यह निर्णय लेना पड़ा मुख्य मंत्री के पत्र के बाद मैं समझती हूं कि गवर्नर के पास में, राज्यपाल के पास में और कोई विकल्प नहीं था हो सकता है कि तिकडमों के जरिए या दल-बदलुओं के जरिए दूसरी सरकार बनने की संभावनाओं को देखने वाले को बहुत सारी साजिशें या बहुत सारी तिकडमें इसमें नजर आ सकती हैं। वह उनकी अपनी दृष्टि का दोष हो सकता है। उपसभापति महोदय, जहां तक नागालैंड की स्थिति का सवाल है जिस स्थिति का जिक्र वहां के मुख्य मंत्री ने अपने पत्र में किया है मैं समझती हूं कि वह स्थिति बिल्कुल सही स्थिति का उन्होंने बयान किया है नागालैंड की हकीकत यह है कि वहां 60 सदस्यों की विधान सभा में 40 सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने कभी न कभी अपने दल को बदला है और उसके अलावा इन 60 में से 59 सदस्य ऐसे हैं जो कभी न कभी मंत्री रह चुके हैं। हर उस भूतपूर्व मंत्री की यह ख्वाइश है कि वह किसी तरह तिकडम कर के पहले से अच्छा मंत्री पद हथिया सके और शायद यही भावना लेकर हमारी केंद्र की सत्तारूढ पार्टी कुछ विधायकों को लेकर खरीद-फरोख्त कर खेल खेलना चाहती थी।

उपसभापति महोदय, चूंकि इन अनैतिक दबावों के चलते एक मुख्य मंत्री के लिए यह संभव नहीं था कि वह सरकार चला सकता और इसलिए बावजूद बहुमत के होते हुए उन्होंने विधान सभा को भंग करने की सिफारिश की ताकि नए चुनाव हो सकें और जनता ही इस बात का अंतिम निर्णय ले कि किस पार्टी को आना है और किस को वहां सरकार चलाना है? उपसभाध्यक्ष महोदया, इन सारी स्थितियों के बावजूद, राज्यपाल द्वारा निर्णय लिए जाने के बावजूद धारा 356 का इस्तेमाल करके वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना और फिर राज्यपाल के खिलाफ माहौल तैयार कर के, राज्यपाल को बर्खास्त कर देना—शायद इस सब की कोई मिसाल हमें अतीत में नहीं मिलती है। उपसभापति महोदय, डा० आंबेडकर ने धारा 356 के प्रयोग में सावधानी बरते जाने की बात करते हुए संविधान सभा में कहा था, मैं उन्हें उद्धृत करना चाहूंगी—

> "इसके प्रयोग के पहले राष्ट्रपति को राज्य को यह चेतावनी देनी चाहिए कि वहां जो कुछ हो रहा है, वह संविधान सम्मत नहीं है उस चेतावनी का अगर कोई असर न हो तो इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि राज्य में फिर से चुनाव हों ताकि जनता समूचे मामले से निपट ले। इन दोनों से भी यदि कोई हल नहीं निकले तभी धारा 356 इस्तेमाल की जानी चाहिए।"

उपसभापति महोदय, नागालैंड के राज्यपाल ने विधान सभा भंग कर के वहां नए चुनाव कराने की पेशकश करते हुए हमारे संविधान निर्माताओं की इसी इच्छा को ही मूर्तरूप किया था, लेकिन केंद्र सरकार को अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के चलते राज्यपाल द्वारा उठाया गया यह कदम रास नहीं आया।

उपसभापति महोदया, पूरे उत्तर-पूर्व में हाल ही में हमारी सत्तारूढ कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से कदम उठाने शुरू किए हैं, वह गौर करने लायक है। मणिपुर

का मामला आप देख लीजिए । मणिपुर में जिस तरह राष्ट्रपति शासन की ओट में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाने की कोशिश की , जिस तरह का घिनौना खेल मेघालय में खेला गया और त्रिपुरा की स्थिति भी आप जानती हैं कि वहां किस तरह से यह भयानक खेल अभी भी जारी है । तो उपाध्यक्ष महोदया मैं यह कहना चाहूंगी कि आज उत्तर पूर्व में जो नाजुक स्थिति है, आज वहां जिस तरह से हिंसक आन्दोलन चल रहे हैं वैसी परिस्थिति में, हालांकि अहलूवालिया जी ने कहा कि नागालैंड की स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं कहूंगी कि नागालैंड ही नहीं पूरे उत्तर पूर्व की स्थिति बहुत ही संवेदनशील है और इसकी संवेदनशीलता का यह तकाजा है कि सत्तारूढ पार्टी अगर अपने को देश की जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्ध समझती है या देश के हितों के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी है तो निश्चित रूप में उन हितों का तकाजा है, उसकी प्रतिबद्धता का तकाजा है कि केंद्र सरकार इस प्रकार के क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों का खेल खेलने से बाज आए । उपसभापति महोदया, अगर आप जनता में अलगाव की भावना को पैदा करेंगे तो आप अलगाववादी आन्दोलनों को कभी भी रोक नहीं पाएंगे उपसभापति महोदया, इसकी बहुत कीमत हमारे देश ने चुकायी है और वह आज भी हम चुका रहे हैं । अगर यही हाल रहा तो हम कितने पंजाब बनायेंगे, कितने काश्मीर बनायेंगे, कोई कह नहीं सकता ? उपसभापति महोदया, इस भारत का जो गौरवशाली अतीत रहा है, जो गौरवशाली परंपरा रही हैं, उस परंपरा, उस अतीत का अंत कहां होगा कोई कुछ कह नहीं सकता ?

उपसभापति महोदया, इसीलिए मैं नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने का तीव्र विरोध करती हूं और पूरे सदन से यह अपील करना चाहती हूं कि जनतंत्र के साथ इस तरह का खिलवाड और जनतांत्रिक मर्यादाओं के साथ इस तरह के घिनौने खेल को बंद किया जाए और हमारा यह दायित्व भी है । उपसभापति महोदया, अगर भारत जैसे देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए हम हमारे संविधान में उल्लिखित जनतांत्रिक मर्यादायों का पालन नहीं करेंगे उसके लचीलेपन का पालन नहीं करेंगे, उसके संघीय ढांचे की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारे केंद्र और राज्य संबंध तो और तिक्त होते जायेंगे । आज की परिस्थिति में, जब साम्राज्यवादी ताकतें चाहती हैं कि हमारा देश कमजोर हो जायें, हमारा देश टुकडे-टुकडें हो जायें, ऐसी परिस्थिति में मैं कांग्रेस के सदस्यों से भी अपील करना चाहूंगी कि जो कदम इन्होंने उठाया है, इस कदम के भयावह परिणामों को देखते हुए क्या उनका यह कर्तव्य नहीं बनता, क्या उनमें संवेदनशीलता नहीं है कि इस कदम पर फिर से थोडा रुक कर, थोडा ठहर कर विचार करें ।

उपसभापति महोदया, मैं अपने वक्तव्य के अंत में एक बात कहना चाहूंगी कि भारत की राजनीति में कांग्रेस अपना एकछत्र शासन करना चाहती है, भारत की राजनीति की धूरी में आना चाहती है । वह जरूर उस राजनीति की धरी में आए हमें उसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरा एतराज वहां है कि इस तरह दल-बदल का घिनौना खेल शुरू करके नहीं । केन्द्र से राज्यों तक में आपने दल-बदल का जो घिनौना खेल शुरू किया है, उस तरीके से न आइए, जनतांत्रिक तरीके से आइए, जनता में विश्वास पैदा करके आइए, जनता को अपने साथ लेकर आइए ।

इसलिए, उपसभापति महोदया, मुझे शेक्सपियर की पंक्तियां याद आती हैं । शैक्सपीयर ने कहा था —

O! It is excellent

To have a giant's strength, but it is tyrannous

To use it like a giant.

मैं अपने कांग्रेस के सदस्यों से और सरकार से यह अपील करूंगी कि यह अच्छी बात है शक्तिशाली बनें, लेकिन

[श्रीमती सरला महेश्वरी]

शक्ति का इस तरह दुरुपयोग न करें कि हमारे जनतंत्र की बुनियाद ही कमजोर पड़ जाए ।

इसी के साथ, उपसभापति महोदय, मैं फिर एक बार माननीय गृह मंत्री जी द्वारा रखे गए इस परिनियत संकल्प का विरोध करती हूं । धन्यवाद ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned for lunch for one hour.

The House then adjourned for lunch at thirty-two minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-five minutes past two of the clock, **The Vice-Chairman (Shrimati Sushma Swaraj)** in the Chair.

STATUTORY RESOLUTION SEEKING APPROVAL OF PRESIDENT'S PROCLAMATION IN RELATION TO NAGALAND MOTION AND SEEKING ITS APPROVAL OF THE PROCLAMATION—Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): We will continue the discussion on the Statutory Resolution in relation to the State of Nagaland.

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Madam, Vice-Chairman, I thank you for the opportunity given to me to speak on this Statutory Resolution and at the outset I welcome the Statutory Resolution moved by the hon. Minister of State for Home Affairs, Mr. M. M. Jacob. I have been listening with rapt attention to the previous speakers. The points made by them had expressed the gravity of the situaton in Nagaland and I also express my concern along with others about these political developments taking place in Nagaland. Madam, as a Member from the neighbouring State of Nagaland I really feel concerned about the developments that have been taking place from time to time. In fact, in the last four years Nagaland has seen three Chief Ministers and, as has been mentioned by my previous speaker, almost 90 per cent of the MLAs became Ministers. As we all know, Nagaland is a border State. It is bordering Burma and other countries. Peace and stability is the basic concern of all of us. Peace and stability is the basic thing which is required in a border State or the country and the people of Nagaland have been struggling for it for years together. If we follow the political developments and the political scenario of Nagaland of the past few years since it has got its statehood, we find that in the general elections hardly any party gets a majority. There have been coalition ministries. These are not new phenomena because there had been unstable ministries earlier also. Therefore, when we interact with the common people, with the politicians, their basic concern is, Nagaland needs peace and stability, stability of the Government particularly, and that they have proved in 1989 when they elected a stable Government, a truly majority Government. In Nagaland in the 1989 general elections the Congress got 36 seats out of a total of 60 and the Opposition, NPC, got 24 seats. All of us, particularly the people of Nagaland expected a stable Government in Nagaland. A Congress Government was formed under the leadership of Shri S. C. Jamir which continued for 17 months. What happened after 17 months. What happened during that time? In 1989, after the general elections, the Government at the Centre was changed and the National Front Government came into power. Immediately after that Goverors were changed and that is how the Governor of Nagaland was also changed. Immediately after the change of the Governor the game of instability started and as a result of that the 17-month old Congress Ministry was toppled; defections were engineered and a Govern-